न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) ए के तहत
अनुमति वाद संख्या –आर० एम० 108/2022–23

पूर्ण उराँव..विक्रेता

बनाम

सुषमा मुण्डा..क्रेता

आदेश की तारीख	आदेश	
1	2	3
23.02.2023	विक्रेता का नाम एवं पता– पुर्ण उराँव पिता–स्व० मंगल उराँव निवास ग्राम–बुण्डू बाजार टाँड़ पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–उराँव (अनुसूचित जनजाति), पेशा–खेतीवारी।	

क्रेता का नाम एवं पताः– सुषमा मुण्डा, पिता/पति–प्रफुल्य सिंह मुण्डा निवास ग्राम–जाड़ेया, पो०–हुमटा थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति), पेशा–गृहस्थी।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री गौरीशंकर सिन्हा एवं मनोज कुमार चौधरी।

विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03/11/2022 को आवेदन देकर सूचित किया गया है कि वे अपनी खतियानी/खरीदगी भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत क्रेता सुषमा मुण्डा, पिता/पति–प्रफुल्य सिंह मुण्डा निवास ग्राम–जाड़ेया, पो०–हुमटा थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति), पेशा–गृहस्थी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

<u>बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी</u>

मौजा–बुण्डू थाना–बुण्डू, थाना सं०–28 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
1422	30	05 डीसमील	उ०–नीज, द०–नीज पू०–प्लॉट 20 का अंश प०– प्रस्तावित रास्ता

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक–59 (ii) दिनांक 03/02/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत बिरसा उराँव के नाम से दर्ज है।
2. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम मंगल उराँव के नाम से दर्ज है ।
3. आवेदक पंजी–।। रैयत के पुत्र है।
4. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
5. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।

23.02.2023

6. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है।
7. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–1.16 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को गृह निर्माण एवं ईलाज हेतु बिक्री कर रहे है।
9. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
10. क्रेता मुण्डा एवं विक्रेता उराँव जाति के सदस्य है। जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।
11. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है।
12. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
13. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
14. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
15. भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) ए के तहत विक्रेता पुर्ण उराँव पिता–स्व० मंगल उराँव निवास ग्राम–बुण्डू बाजार टाँड़ पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू जिला–राँची(झारखण्ड) जाति–उराँव (अनुसूचित जनजाति),पेशा–खेतीवारी ने क्रेता/विपक्षी सुषमा मुण्डा, पिता/पति–प्रफुल्य सिंह मुण्डा निवास ग्राम–जाड़ेया, पो०–हुमटा थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति), पेशा–गृहस्थी के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 03/11/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता पुर्ण उराँव पिता–स्व० मंगल उराँव निवास ग्राम–बुण्डू बाजार टाँड़ पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–उराँव (अनुसूचित जनजाति), पेशा–खेतीवारी को क्रेता/विपक्षी सुषमा मुण्डा, पिता/पति–प्रफुल्य सिंह मुण्डा निवास ग्राम–जाड़ेया, पो०–हुमटा थाना–बुण्डू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–मुण्डा (अनुसूचित जनजाति), पेशा–खेतीवारी के हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (I) ए के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–बुण्डू थाना–बुण्डू, थाना सं०–28 जिला–राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
1422	30	05 डीसमील	उ०–नीज, द०–नीज पू०–प्लॉट 20 का अंश प०– प्रस्तावित रास्ता

लेखापित एवं सशोंधित

23/02 (हस्ताक्षर)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू, (राँची)।

23/02 (हस्ताक्षर)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.04 13:02:31 +05:30
Location: 10.93.79.19